



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-927

दिनांक: 16/3/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	मू.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती जशोदा देवी	ई-55	जविप्रा	झालाना फेज-1A	पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं मूल्द प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 7251

दिनांक 16-3-2023

-सार्वजनिक सूचना:-

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीगति शकीला बानो पत्नि श्री मुबारक अली	श्री रामकिशन कालुण्डीया पुत्र श्री मदन लाल	166	43.62	जविप्रा	भांकरोटा सिरसी रोड	नाम हस्तान्तरण/लीजडीड	अपजीकृत मुख्तारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र।

आवेदको द्वारा प्रस्तुत अपजीकृत मुख्तारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेजो के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्डो की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/ फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदको के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 7252


दिनांक 16/3/2023

-सार्वजनिक सूचना:-

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फी होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-


क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जवि प्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री भागीरथ सिंह	श्री भागीरथ मल पुत्र स्व. श्री ज्ञानाराम	889	45.00	जविप्रा	आनन्द विहार	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दस्तावेजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्डों की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/ फी होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदकों के पक्ष में कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।


उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - {+91-141-2574798} : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी-7255

दिनांक 16-3-2023

—:सार्वजनिक सूचना:—

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमति सोनिया गंगवानी पत्नि श्री किशन लाल गंगवानी	श्रीमति मंजू गुप्ता पत्नि श्री राज कुमार चौधरी	373	43.62	जविप्रा	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	लीजडीड/नाम हस्तान्तरण	अपजीकृत इकरारनामा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र।

आवेदको द्वारा प्रस्तुत अपजीकृत इकरारनामा व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेजों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा निम्नानुसार उक्त भूखण्डों की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/ फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदको के पक्ष में कर ली जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 7283

दिनांक 16/03/23

:-सार्वजनिक सूचना:-

प्रशारान शहरो के संग अगियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामाचलार अग्रवाल पुत्र श्री हनुमान सहाय अग्रवाल	भास्कर शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा	86	100.00	खोरा मीणा गृह निर्माण सहकारी समिति	विनायक धाम	फ्री होल्ड लीजडीड	विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में आवंटी का नाम नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र मय स्थानान्तरण पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण पत्र व रसीदों के आधार पर सदस्य सूची में नाम अंकन किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री रामाचलार अग्रवाल पुत्र श्री हनुमान सहाय अग्रवाल	श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल	85	100.00				

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र मय स्थानान्तरण पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण पत्र व रसीदों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

YH
16/03/23

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवाये।

YH
16/03/23

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गू.नि.स.स. / निजी. खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती गुड्डी देवी पत्नि श्री राधेश्याम	श्री धन्नाराम जाखड पुत्र श्री डालूराम	18	220.00 वर्गगज	शिव शंकर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि.	वृन्दावन विहार	लीजडीड हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 7279

दिनांक 16-3-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स - 91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2023/डी- 604

दिनांक 16.03-2023

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदकगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड पटटा जारी करने हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदकगण के पक्ष में लीजहोल्ड पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	बी-18	बसन्त बहार सिन्धी को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. की योजना बसन्त बहार	श्री राजीव पाटनी, श्री राजेश पाटनी पुत्रान स्व. श्री रमेश चन्द पाटनी एवं श्रीमती मैना देवी पाटनी पत्नी स्व. श्री रमेश चन्द पाटनी	श्री अम्बा लाल पुत्र श्री बाल चन्द	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, पंजीकृत बख्शीशनामा, पंजीकृत विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 984

दिनांक:- 17/3/2023

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	ब्लॉक एस-33 के व्या0 भू.सं. एस-95	23.24 (व.मी.)	सैन्ट्रल स्पाईन	रघुवीर शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा	सुण्डाराम दुसाद पुत्र श्री किशोरी लाल	मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-9
जयपुर, जयपुर
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर, जयपुर
जयपुर, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-944

दिनांक: 17/3/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.सा.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अरविन्द सिंघी	ए-21	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा	मूल पट्टा न होने के कारण
2.	श्री अरविन्द सिंघी	ए-22	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा	मूल पट्टा न होने के कारण

उपायुक्त जोन-1
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/जोन-06/उपा./डी- 629

दिनांक.....16-3-23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

~~उपरोक्त विषयान्वित निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-~~

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्री विष्णु झालानी, संजय झालानी एवं मनोज झालानी पुत्रान श्री सीताराम झालानी	श्रीमती नर्बदा देवी झालानी पत्नी श्री सीताराम झालानी	35	253.33	मित्र	परसराम नगर स्कीम नम्बर-4	नाम हस्तान्तरण	उत्तराधिकार के आधार पर
2	श्री इकबाल हुसैन पुत्र श्री शब्बीर खान भाटी	श्री मांगू सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह	ए-314	50.00		मुरलीपुरा	नाम हस्तान्तरण	उत्तराधिकार के आधार पर
3	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री रामबाबू सैनी, दीपक सैनी, पूजा सैनी पुत्र/पुत्री श्री रामबाबू सैनी	श्री अमरनाथ गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता	बी-481	50.00		मुरलीपुरा	नाम हस्तान्तरण/ लीजडीड	

उपायुक्त जोन-6

जविप्रा, जयपुर

जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी- 626

दिनांक 15.03.2023

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....

दिनांक.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव गृ.नि.स.स की योजना **सूर्य नगर-डी-1** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।


अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्ट	स्वामित्व
नांगल जैसा बोहरा, जयपुर	571 573	0.6829 0.2276	कजोड पुत्र मांगीलाल हि. 1/3, डगल्या पुत्र मांगीलाल हि. 1/3 पांचू पुत्र मांगीलाल हि. 1/3 जाति माली सा. देह खातेदार

प्रशासन शहरो के सग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।


नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी, एवं उपायुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर, जयपुर



आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सुखीजा विहार-जी के भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 70.90 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या 22-ए क्षेत्रफल 85.11 वर्गगज का भूखण्डधारी द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम मांग्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 331 से प्रभावित है, जो अनुमोदित योजना सुखीजा विहार विस्तार का है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।


उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 464
दिनांक 16.03.2024



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री परीक्षित शर्मा	राजेश्वरी शर्मा	130	714.69	मीनावाला गृ.नि.स.स.	कीर्ति सागर-एफ	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	पूजा शर्मा	राजन शर्मा	127	500.00	मीनावाला गृ.नि.स.स.	कीर्ति सागर-एफ	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	उमेश कुमार शर्मा	आरती शर्मा	127-A	500.00	मीनावाला गृ.नि.स.स.	कीर्ति सागर-एफ	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी-457
दिनांक 14.3.23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	प्लॉट संख्या	प्लॉट क्षेत्रफल	मू. नि. स. स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	नेनिका शर्मा	तारा शर्मा	127-B (EP)	500.00	मीनावाला मू. नि. स. स.	कीर्ति सागर एफ	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	तारा शर्मा	स्वयं	127-B (WP)	1000.00	मीनावाला मू. नि. स. स.	कीर्ति सागर एफ	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	श्री सुरेन्द्र कुमार जागिड़	अनिल जागिड़	F 57-A	86.54	मीनावाला मू. नि. स. स.	कीर्ति सागर एफ	लीजडीड	अपजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक / जविप्रा / तपा / जोन पीआरएन (दक्षिण द्वितीय) / 2023 / जी-

दिनांक 17.3.2023

480



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 999

दिनांक:- 17/3/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	र.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती लाली देवी मीणा	डी-48	जविप्रा	झालाना डूंगरी फेज-आ	पट्टा एवं नाम हस्तन्तरण	अपंजीकृत इकरारनामा
2.	श्रीमती लाली देवी मीणा	डी-49	जविप्रा	झालाना डूंगरी फेज-आ	पट्टा एवं नाम हस्तन्तरण	अपंजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञापित प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	मु.निरा.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञापित प्रकाशन का कारण
1	श्री हरिकिशन अग्रवाल पुत्र श्री सत्यनारायण	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री हीरालाल अग्रवाल	160	375.00	श्री छत्रपति	प्रताप नगर विस्तार	लीजहोल्ड से फीहोल्ड	उत्तराधिकार के आधार पर
2	श्री छाजूराम चौधरी पुत्र श्री भूराराम चौधरी	श्री हरिबक्श चौधरी पुत्र श्री भूरामल चौधरी	46	244.44 में से 122.22	सुभाष सिंधी	विकास नगर	नियमन	दस्तावेज गुम होने की एफ आई आर
3	श्री रवि यादव पुत्र श्री रामवतार यादव	श्रीमती रमेश देवी पत्नी श्री रामवतार यादव	52	150.00	भैरव	श्री देवनगर	नियमन	उत्तराधिकार के आधार पर
4	श्री प्रवीण कुमार बसंत पुत्र स्व. श्री नाथूराम गुप्ता	श्री नाथूराम गुप्ता पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता	12	177.78	तोपखाना देश	सैन्ट्रल कालोनी फेज- II	नियमन	सूची में नाम नहीं
5	श्री प्रवीण कुमार बसंत पुत्र स्व. श्री नाथूराम गुप्ता	श्री नाथूराम गुप्ता पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता	13	177.78	तोपखाना देश	सैन्ट्रल कालोनी फेज- II	नियमन	सूची में नाम नहीं

4
सुपायुक्त जोन-6
जयपुर, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-653 दिनांक 17.03.2023

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 7288

दिनांक 17-3-2023

:-सार्वजनिक सूचना:-

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामसिंह पुत्र रघु. श्री कल्याण सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह कुमार खीची पुत्र श्री सीताराम खीची	327	43.62	जविप्रा	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	लीजडीड/नाम हस्तान्तरण	सत्य प्रतिलिपि मुख्यारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार।

आवेदको द्वारा प्रस्तुत सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर्ड, मुख्यारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर किराी की व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त मूखण्डो की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/ फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदको के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- 1 जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवाये।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - {+91-141-2574798} : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदन द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल अपॉर्टी/सीजबीडधारक का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके के लिए आवेदन किया गया।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती मृती देवी पत्नी श्री रामकिशोर	श्री राम किशोर सैन पुत्र श्री राम सहाय सैन	20A	111.11	हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री राम विहार विस्तार	नाम हस्तातरण	रजि.हकत्याग


उपायुक्त
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम)
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.पृथ्वीराज नगर दक्षिण-प्रथम/2023/बी- 649

दिनांक: 17.3.2022

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीओएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फ़ैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल: (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

2022.docx



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जितके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
		ग्यारसी लील	86	200.00	जयपुर गृ.नि.स.स.	कृषि विभाग	बीजडीड	आपसीकृत ईकरारनामा आवंटन पत्र रसीद, साइट प्लान इत्यादि

उपायुक्त

जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,

जविप्रा, जयपुर।

दिनांक 08/03/2023 क्रमांक/जविप्रा./सपा./जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)/2023 डी-423



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 7288

दिनांक 17-3-2023

—सार्वजनिक सूचना:—

प्रशासन शहरो के रांग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामसिंह पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह कुमार खीची पुत्र श्री शीताराम खीची	327	43.62	जविप्रा	बिन्दायका ईडब्ल्यूएस	लीजडीड/नाम हस्तान्तरण	सत्य प्रतिलिपि, मुख्धारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार।

आवेदको द्वारा प्रस्तुत सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर्ड मुख्धारनामा आम व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्डों की नाम हस्तान्तरण/लीजडीड/ फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदको के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- 1 जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करवायें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल; जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - {+91-141-2574798} : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-552

दिनांक : 16/3/23

लोक सूचना

प्रभुदयाल पुत्र गणपतलाल हिस्सा पूर्ण जाति-मीणा नि.एस.-1, सुभाष मार्ग सी.स्कीम, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (फार्म हाउस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	खातेदार का नाम
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	बीलपुर	733	0.1000	प्रभुदयाल पुत्र गणपतलाल
		734	0.2400	
		736/932	0.0500	
		803	1.6400	
		818/952	0.0700	
		820/951	0.0500	
		किता-6	2.1500	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/3/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102459

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

श्री लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री खेमराज चौधरी जाति जाट निवासी-101, वास्तु श्री सैक्टर-जी, पी.आर.एन. साउथ, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का मिश्रित प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि को अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री लक्ष्मण चौधरी पुत्र श्री खेमराज चौधरी जाति जाट निवासी-101, वास्तु श्री सैक्टर-जी, पी.आर.एन. साउथ, मानसरोवर, जयपुर।	1234 / 1223	20	0.0020
			1236 / 1227	930	0.0930
			1060 / 784	40	0.0040
कुल					0.0990

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-03-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102456

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

श्री विनय कुमार कोठारी पुत्र श्री घीसीलाल कोठारी जाति जैन निवासी-ओ-1-सी(ए), अस्पताल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर एवं केजीके रेजिडेंशियल्स जरिये पार्टनर श्री विनय कुमार कोठारी पुत्र श्री घीसीलाल कोठारी पंजीकृत कार्यालय 2339, बॉम्बे हाउस, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	दहमीखुर्द सांगानेर (जयपुर)	श्री विनय कुमार कोठारी पुत्र घीसीलाल कोठारी जाति जैन निवासी-ओ-1-सी(ए), अस्पताल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	400	3000	रकबा 1.34 हैक्ट में से रकबा 0.30 हैक्ट
2	दहमीखुर्द सांगानेर (जयपुर)	केजीके रेजिडेंशियल्स पंजीकृत कार्यालय 2339, बॉम्बे हाउस, रामलला जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।	651	3400	रकबा 0.41 हैक्ट में से रकबा 0.34 हैक्ट
			656	580	रकबा 0.07 हैक्ट में से रकबा 0.0580 हैक्ट
			657	41800	रकबा 4.61 हैक्ट में से रकबा 4.18 हैक्ट
			653	685	रकबा 0.13 हैक्ट में से रकबा 0.0685 हैक्ट
			659	1400	0.14
			655	100	रकबा 0.77 हैक्ट में से रकबा 0.0100 हैक्ट
			663	7615	रकबा 1.0370 हैक्ट में से रकबा 0.7615 हैक्ट
			664	320	रकबा 0.98 हैक्ट में से रकबा 0.0320 हैक्ट
3.	दहमीकंला सांगानेर (जयपुर)	श्री विनय कुमार कोठारी पुत्र घीसीलाल कोठारी जाति जैन निवासी-ओ-1-सी(ए), अस्पताल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	2010	2700	0.27
			2011	860	0.0860
			2012	4000	0.40




कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			2013	3200		0.32
			2014	2100		0.21
			2017	1200		0.12
			2071	1100		0.11
			2072	1800		0.18
			2076 / 2587	2300		0.23
कुल						7.8160

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **10-03-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत-अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/102457

दिनांक : 17/03/2023

लोकसूचना

श्री मदन लाल पुत्र श्री श्रवण लाल, निवासी :- प्लॉट नं. 67, तिरुपति बालाजी नगर, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर जरिये मुख्याराम श्री श्रवण लाल चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी, निवासी-40, अजमेर रोड, घेंघा, बगरु, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	गाडोता, मौजमाबाद (जयपुर)	मदनलाल पुत्र श्रवण लाल	60	13200.00	1.3200
कुल					1.3200

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा पदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर तमर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.03.2023 को जारी की गयी।

प्रधान अधिकारी
उपायुक्त जोन-12
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/102461

दिनांक : 17/03/2023

लोकसूचना

श्री अशोक पुत्र श्री गोपाल जाति जाट निवासी:- ग्राम सिंवार, तहसील व जिला जयपुर।
श्रीमती सरजूदेवी पत्नी श्री गोपाल जाति जाट निवासी:- ग्राम सिंवार, तहसील व जिला जयपुर।
श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री गोपाल जाति जाट निवासी:- ग्राम सिंवार, तहसील व जिला जयपुर।
श्री बाबू पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी:- ग्राम सिंवार, तहसील व जिला जयपुर।
श्री मन्ना पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी:- ग्राम सिंवार, तहसील व जिला जयपुर।
श्री लाला पुत्र श्री जगन्नाथ जाति जाट निवासी:- ग्राम सिंवार, तहसील व जिला जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	सिंवार, जयपुर (जयपुर)	अशोक पुत्र गोपाल, सरजूदेवी पत्नी गोपाल, गीता देवी पुत्री गोपाल, बाबू पुत्र जगन्नाथ, मन्ना पुत्र जगन्नाथ, लाला पुत्र जगन्नाथ	564	11382.00	1.1382
				कुल	1.1382

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर परमर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17.03.2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102449

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

ललिता पालीवाल पुत्र वगता राम, वगता राम पुत्र मोडाराम, गीता देवी पत्नी श्री वगता राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	ललिता पालीवाल पुत्र वगता राम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1168 / 259	2000	0.20	
			1172 / 261	300	0.03	
			1176 / 257	1100	0.11	
			1179 / 258	2600	0.26	
		वगता राम पुत्र मोडाराम जाति पालीवाल निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1166 / 259	1500	0.15	
			1167 / 259	1600	0.16	
			1171 / 261	200	0.02	
			1175 / 257	100	0.010	
		गीता देवी पत्नी श्री वगता राम निवासी वार्ड नं. 18, गायत्री चौक बालोतरा ग्रामीण बाडमेर	1178 / 258	1100	0.11	
			1165 / 259	1200	0.12	
			1170 / 261	1200	0.12	
			1174 / 257	1600	0.16	
				1177 / 258	500	0.05
						कुल




कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-03-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/उपा/जोन-11/उपा-11/2023/डी-7/8

दिनांक 17/3/23

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राम ट्रस्ट जरिये अधिकृत ट्रस्टी श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बलवन्त राय निवासी- ई-08, रिको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर द्वारा ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 115/1173, 118/2, 218/1131, 115/1172, 116, 117/2 कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 हेक्ट. में से क्षेत्रफल 44030.60 वर्गमीटर की आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ फ्री होल्ड जारी पट्टा दिनांक 13.02.23 को आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 115/1173, 118/2, 218/1131, 115/1172, 116, 117/2 कुल किता 6 कुल रकबा 4.84 हेक्ट. में से क्षेत्रफल 44030.60 वर्गमीटर भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 13.02.23 को श्री राम ट्रस्ट जरिये अधिकृत ट्रस्टी श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बलवन्त राय निवासी- ई-08, रिको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर के पक्ष में जारी की गयी थी।

अतः उक्त भूमि का आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) से संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने के संबंध में संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एकल पट्टा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17/3/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. श्री राम ट्रस्ट जरिये अधिकृत ट्रस्टी श्री अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री बलवन्त राय निवासी- ई-08, रिको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- ()/जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-719

दिनांक 17/3/23

सार्वजनिक सूचना

निजी खातेदारी की आवासीय योजना गीतांजली वात्सल्य का अनुमोदन के पश्चात् नियमन शिघ्र आयोजित किये जाने हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

क. सं.	आयोजित कैम्प दिनांक	आयोजित कैम्प स्थल	खातेदार का नाम	ग्राम/तहसील	योजना का नाम
1	22.03.2023	जेडीए. परिसर	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बेरीसाल जाति मीणा सा.देह.	जयसिंहपुरा बास मांक्रोटा तहसील सांगानेर	गीतांजली वात्सल्य

उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बेरीसाल जाति मीणा सा.देह. को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102460

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

श्रीमती आशा चौधरी पत्नी श्री लक्ष्मण चौधरी जाति जाट निवासी-101, वास्तु श्री सेक्टर-जी, पी.आर.एन. साउथ, मानसरोवर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती आशा चौधरी पत्नी श्री लक्ष्मण चौधरी जाति जाट निवासी-101, वास्तु श्री सेक्टर-जी, पी.आर.एन. साउथ, मानसरोवर, जयपुर।	1242 / 1225	725	0.0725
कुल					0.0725

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-03-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102442

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. केरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झूनू।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	जगतश्रवणपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री दिलीप सिंह पुत्र डॉ. हरी सिंह जाति जाट सा. केरू, तहसील उदयपुरवाटी, झुन्झूनू।	179	800	0.08
			180	14000	1.40
			172	4200	0.42
कुल					1.90

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-03-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक:- ()/जविप्रा/उपा./जोन-11/2023/डी-720

दिनांक 17/13/23

सार्वजनिक सूचना


निजी खातेदारी की आवासीय योजना राधा गोविन्द विहार का अनुमोदन के पश्चात् नियमन शिविर आयोजित किये जाने हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	आयोजित कैम्प दिनांक	आयोजित कैम्प स्थल	खातेदार का नाम	ग्राम/तहसील	योजना का नाम
1.	22.03.2023	जेडीए, परिसर	मैसर्स राधारानी बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नरेन्द्र मित्तल पुत्र श्री सीताराम मित्तल, पंजीकृत कार्यालय 234, जी.एन.बी. रोड, गुवाहाटी क्लब के सामने, बस स्टैण्ड गुवाहाटी, असम	महासिंहपुरा उर्फ केश्यावाला तहसील सांगानेर.	राधा गोविन्द विहार


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करावें।
- मैसर्स राधारानी बिल्ड स्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नरेन्द्र मित्तल पुत्र श्री सीताराम मित्तल, पंजीकृत कार्यालय 234, जी.एन.बी. रोड, गुवाहाटी क्लब के सामने, बस स्टैण्ड गुवाहाटी, असम को सूचनार्थ प्रेषित है।


उपायुक्त जोन-11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102455

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

श्रीमति KALI DEVI पत्नी श्री BHORI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KAJOD MAL MEENA पुत्र श्री CHHOTU RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री BUDDHI PRAKASH MEENA पुत्र श्री CHHOTI LAL MEENA जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KAILASH CHAND MEENA पुत्र श्री CHHOTI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KALYAN SAHAY MEENA पुत्र श्री MANGAL RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री SHANKAR LAL MEENA पुत्र श्री BHORI LAL MEENA जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री RAMSAHAY MEENA पुत्र श्री RAMNARAYAN जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KALU RAM पुत्र श्री MANGAL RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री LALRAM पुत्र श्री BHORI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मानुपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	KAJOD MAL MEENA, BU DDHI PRAK ASH MEEN A, KAILASH CHAND ME ENA, KALI D EVI, KALYAN SAHAY MEE NA, SHANK AR LAL MEE NA, RAMSA HAY MEEN A, KALURA M, LALRAM	695/205	850	0.085
				कुल	0.085

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ

आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **17-03-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102454

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

श्रीमति KALI DEVI पत्नी श्री BHORI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KAJOD MAL MEENA पुत्र श्री CHHOTU RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री BUDDHI PRAKASH MEENA पुत्र श्री CHHOTI LAL MEENA जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KAILASH CHAND MEENA पुत्र श्री CHHOTI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KALYAN SAHAY MEENA पुत्र श्री MANGAL RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री SHANKAR LAL MEENA पुत्र श्री BHORI LAL MEENA जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री RAMSAHAY MEENA पुत्र श्री RAMNARAYAN जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KALU RAM पुत्र श्री MANGAL RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री LALRAM पुत्र श्री BHORI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मानुपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	KAJOD MAL MEENA, BU DDHI PRAK ASH MEEN A, KAILASH CHAND ME ENA, KALI D EVI, KALYAN SAHAY MEE NA, SHANK AR LAL MEE NA, RAMSA HAY MEEN A, KALURA M, LALRAM	691/205	1675	0.1675
2.	मानुपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	KAJOD MAL MEENA, BU DDHI PRAK ASH MEEN A, KAILASH CHAND ME ENA, KALI D EVI, KALYAN SAHAY MEE NA, SHANK AR LAL MEE NA, RAMSA HAY	697/204	3000	0.3

		MEEN A, KALURA M, LALRAM				
					कुल	0.4675

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **17-03-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
उपसिटी (जोन-14)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102453

दिनांक: 17/03/2023

लोक सूचना

श्री BUDDHI PRAKASH MEENA पुत्र श्री CHHOTI LAL MEENA जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KAILASH CHAND MEENA पुत्र श्री CHHOTI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KAJOD MAL MEENA पुत्र श्री CHHOTU RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्रीमति KALI DEVI पत्नी श्री BHORI LAL जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री KALU RAM पुत्र श्री MANGAL RAM जाति MEENA निवासी MANGAL RAM

श्री KALYAN SAHAY MEENA पुत्र श्री MANGAL RAM जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री LAL RAM पुत्र श्री BHORI LAL जाति MEENA निवासी MANGAL RAM

श्री RAMSAHAY MEENA पुत्र श्री RAMNARAYAN जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..

श्री SHANKAR LAL MEENA पुत्र श्री BHORI LAL MEENA जाति MEENA निवासी MANPUR NANGALYA, BEELWA KALAN, JAIPUR RAJ..


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मानुपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	KAJOD MAL MEENA, BUDDHI PRAKASH MEENA, KAILASH CHAND MEENA, KALI DEVI, KALYAN SAHAY MEENA, SHANKAR LAL MEENA, RAMSAHAY MEENA, KALURAM, LALRAM	206/630	500	0.05
2.	मानुपुरा नागल्या, सांगानेर (जयपुर)	KAJOD MAL MEENA, BUDDHI PRAKASH MEENA, KAILASH CHAND MEENA, KALI DEVI, KALYAN SAHAY MEENA, SHANKAR LAL MEENA, RAMSAHAY MEENA, KALURAM, LALRAM	692/205	2400	0.24

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **17-03-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर